



प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

पत्रांक : 505/बीएफटी/07/10-11

दिनांक: 02/07/2014

सेवा में,

श्री निखिल अग्रवाल,
अधिकृत हस्ताक्षरी,
मै0गणपति ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज,
सुल्तानगंज की पुलिया, आगरा।

विषय- मौजा-बुढ़ेरा के खसरा सं0 01 व खसरा सं0 209, मौजा-लकावली, तहसील व जिला आगरा पर स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग प्रस्तुत संशोधित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत खसराओं की भूमि पर आपके द्वारा प्रस्तुत संशोधित समूह आवास भवन मानचित्र पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 01.07.2014 द्वारा निम्न शर्त/प्रतिबंध के अधीन औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है-

- (1) भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (2) आवेदक को समस्त विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं फायर विभाग का अन्तिम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही पूर्णतः प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।
- (3) आवेदक को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।
- (4) प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र के अनुसार आवेदक द्वारा भवन सामग्री अपने भूखण्ड के अन्दर एकत्रित करनी होगी।
- (5) स्थल पर भवन उपविधि के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण करना होगा।
- (6) प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन में अध्यासन की अनुमति दी जाएगी।
- (7) स्टिल्ट व बेसमेन्ट को पार्किंग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जायेगा अन्यथा दी गयी स्वीकृति निरस्त मानी जाएगी।
- (8) निर्माण कार्य भवन उपविधि में निर्धारित योग्यता रखने वाले दक्ष अभियन्ता तथा वास्तुविद् की देखरेख में कराना होगा ताकि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- (9) रोड वाइडनिंग वाली जिस भूमि का कम्पनसेट्री एफ0ए0आर0 का लाभ लिया गया है, उस भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित करना होगा।
- (10) मानचित्र में दर्शित "To be demolished" निर्माण ध्वस्त कर उक्त स्थल पर पार्किंग विकसित की जाएगी अन्यथा दी गयी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

अतः बाह्य विकास शुल्क रू0 2,53,64,858.00, सिटी डेवलपमेन्ट शुल्क रू0 1,85,38,998.00, निरीक्षण शुल्क रू0 14,41,541.00 तथा शेल्टर फीस 48,36,000.00 प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा कराकर, सात दिन के अन्दर उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बाह्य विकास शुल्क/अन्य मदों में पूर्व जमा धनराशि नियमानुसार समायोजित कर ली जायेगी।

भवदीय

217/14
सहायक अभियन्ता(भवन)

शुल्कों की गणना-

1-	बाह्य विकास शुल्क	:	$24758.28M^2 \times Rs.683.00/M^2 \times 1.5$	= Rs.2,53,64,858.00
2-	सिटी डवलपमेन्ट शुल्क	:	$\frac{(55706.12) - 33423.67}{2.50} \times 5200 \times 0.40$	= Rs.1,85,38,998.00
3-	निरीक्षण शुल्क	:	$67997.24M^2 \times Rs.21.20/M^2$	= Rs.14,41,541.00
4-	शेल्टर फीस	:	$\frac{310 (35+25) \times 5200.00/2}{10}$	= Rs.48,36,000.00

कुल- = Rs.5,01,81,397.00

पूर्व में जमा धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना हेतु धरोहर राशि रू0 10.00 लाख पूर्व में आवेदक द्वारा जमा करायी जा चुकी है। चालान रसीद की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

3613.67x2
2554.27x14